



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 अग्रहायण, 1942 (श०)

संख्या- 631 राँची, बुधवार,

09 दिसम्बर, 2020 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

02 नवम्बर, 2020 ई०।

संख्या-05/सी०सी०ए०/01/05/2014 (खण्ड-I)- 3697 -- उपायुक्त-सह-जिला-दण्डाधिकारी, लातेहार/बोकारो के क्रमशः पत्रांक- 326/विधि, दिनांक 14.09.2020 एवं पत्रांक- 583/विधि, दिनांक 29.07.2020 द्वारा जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत शक्ति प्रत्यायोजन का अनुरोध किया गया है। इसमें झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि लातेहार/बोकारो जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरुद्ध करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निरुद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 अंगीकृत की धारा-12 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु झारखण्ड राज्य के लातेहार/बोकारो जिला के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा-12 (2) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी तीन माह तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।